# ''सहकारिता से किसान कल्याण''(कृषकों के लिए विभिन्न योजनाऐं)

*अर्चना चौधरी
**डॉ० रविन्द्र दुलार

**परिचय–**

सहकारिता एक ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक आन्दोलन है। जो आत्म सहायता का पाठ पढ़ता है तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतो के आधार पर एक साथ मिलकर रहने एवं कार्य करने का उपदेश देता है। "जिस में सब एक के लिए व एक सब के लिए" मूलतन्त्र वाली धारणा लेकर कार्य करते है। सहकारिता ही वह माध्यम है जो आर्थिक नियोजन को सफल बना सकता है तथा कृषकों के आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक साख समितियों की स्थापना की गई है। ताकि कृषकों को कृषि वित्त की पूर्ति सुगमता से हो सके वर्तमान में राजस्थान में 33,494 कुल प्राथमिक सहकारी समितियाँ कार्य कर रही है। जिन में से 6476 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (लेम्पस) है जो कि केवल कृषि वित्त की आपूर्ति का कार्य कर रही है। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कृषि वित्त उपलब्ध करवाये जाते है। वर्तमान में किसान कल्याण कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण किया जा रहा है।

जिन का विवरण निम्न प्रकार से है –

1. सहकार किसान कल्याण योजना

योजना का संक्षिप्त परिचय – राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर उनकी शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु योजना का प्रारम्भ।

प्रारम्भ वर्ष– वर्ष 2015–16

लाभान्वित वर्ग – कृषक

**पात्रता –**

(i) सम्बन्धित जिले/केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।

(ii) सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो व ऋणी स्वयं इस भूमि पर स्वयं काश्त करता हो।

(iii) काश्तकार सहकारी समिति/सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक का सदस्य हो।

**देय सुविधाऐं –**

- केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा असिंचित भूमि होने की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का तथा सिंचित भूमि होने पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। असिंचित एवं सिंचित भूमि दोनों के मामले में वर्णित अधिकतम ऋण के साथ–साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम 5 लाख रुपय 1वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किए जा सकेंगे। साख सीमा का प्रति वर्ष खाते में लेन–देन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। पैक्स/लैम्पस के माध्यम से असिंचित भूमि होने की स्थिति में 50 हजार रुपये तथा सिंचित भूमि होने की स्थिति में 1लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। असिंचित एवं सिंचित भूमि दोनों के मामले में वर्णित अधिकतम ऋण सीमा के अन्तर्गत टर्म ऋण के साथ–साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपये 1 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जा सकेंगे। साख सीमा का प्रति वर्ष खाते में लेन–देन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

परन्तु उपरोक्त ऋण सीमा प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- सदस्य के पक्ष में ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण उपलब्ध भूमि एवं पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर होगा।

ब्याज दर :इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले साख सीमा / सावधि ऋण पर 11.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।

- अनुदान :समय पर ऋण का चुकारा करने पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

उक्तानुसार ऋण निम्न उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा :–

- कृषि यंत्रीकरण – ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड़ ड्रिल खरीद व रिपेयर, थ्रेशर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य।
- सिंचाई साधन – पाइप लाइन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।
- बागवानी विकास – बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौधे, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण / मरम्मत, विद्युत लाइन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्य।
- डेयरी विकास – दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऊँट गाडी, बैलगाडी खरीद / मरम्मत आदि कार्य।
- चारा संग्रहण एवं भण्डारण

**आवेदन का तरीका :**

आवेदक द्वारा साधारण कागज पर ऋण का प्रयोजन एवं आवश्यकता दर्शाते हुए फोटो युक्त ऋण आवेदन पत्र मय ऋण प्रयोजन का स्वघोषणा पत्र भूमि से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज, सदस्यता विवरण, जमानत नामा आदि के साथ

आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति में आवेदन कर सकता है। नियमानुसार मांग वचन पत्र, समय वचन पत्र, ऋण अनुबन्ध, उपयोगिता पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, अविरल पत्र (साख सीमा हेतु) इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन कहाँ किया जाए –

जिले की सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध शाखा / ग्राम सेवा सहकारी समिति में आवेदन किया जा सकता है।

**सम्पर्क सूत्र –**

जिले की सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध शाखा / ग्राम सेवा सहकारी समिति।

**2. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना –**

योजना का संक्षिप्त परिचय :–राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिये एसबीआई इंश्योरेन्श कम्पनी एवं शीर्ष बैंक के मध्य समझौता अनुसार ऋणी सदस्य का 6.50 रूपये (मय सेवा कर) प्रति हजार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि पर 10 लाख रूपए तक का बीमा।

प्रारम्भ होने का वर्ष :– 2016–17

लाभान्वित वर्ग :समस्त वर्ग

पात्रता :– किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं पेक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार।

देय सुविधाऐं :– मृत्यु होने पर अधिकतम 10 लाख रूपए तक क्षतिपूर्ति

आवेदन का तरीका :–ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।

आवेदन कहाँ किया जाए – सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :–बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा अपना दावा बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दावा प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित बैंक में प्रस्तुत किया जायेगा।

सम्पर्क सूत्र :–सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति / केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।

### 3. सोलर फोटोवॉल्टिक पम्पिंग सिस्टम योजना :–

योजना का संक्षिप्त परिचय :–डछत्म (नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार) एवं नाबार्ड द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनार्थ 3 / 5 हार्स पावर के पम्पसैट हेतु ऋण व अनुदान सुविधा उपलब्ध।

प्रारम्भ वर्ष –2014–15

लाभान्वित वर्ग – ऋणी कृषक

पात्रता :– योजनान्तर्गत डछत्म द्वारा राज्य में अनुमोदित पम्पसैट निर्माता फर्म से ही पम्पसैट क्रय करने पर अनुदान देय।

देय सुविधाऐं :–योजनान्तर्गत 3 / 5 हार्स पॉवर के पम्पसैट हेतु ऋण व अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान देय।

आवेदन का तरीका :– प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेजों (पम्पसैट का कोटेशन, इन्वाईस एवं बीमा पॉलिसी / कवर नोट) के साथ प्राथमिक बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना है।

आवेदन कहाँ किया जाए – सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :–पूर्ण भरा निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमाबंदी खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज

नो ड्यूज प्रमाण–पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति एवं पम्पसैट का कोटेशन आदि।

सम्पर्क सूत्र :–प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा।

### 4. डेयरी उद्यमिता विकास योजना :–

योजना का संक्षिप्त परिचय :– कृषकों को सहायता प्राप्त करने हेतु डेयरी उद्देश्य हेतु दुधारू पशु उपलब्धकरवाना

लाभान्वित वर्ग :– कृषक पात्रता :– कृषक

देय सुविधाऐं :–पशुगृह निर्माण, डेयरी सम्बन्धित निर्माण कार्यों, पशु क्रय करने, पशुओं हेतु आवश्यक भोजन के बर्तन, परिवहन व्यय, प्रथम खेप के पशुओं के बीमा हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करवायी जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु 60,000 / –रूपये प्रति इकाई हेतु 6 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाना।

अनुदान :– वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों को 33.33 प्रतिशत अनुदान देय। अनुदान पश्चदाय पद्धति से देय होगा।

आवेदन कहाँ किया जाए :– समीपस्थ प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शाखा। अथवा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :–अन्तिम जमाबन्दी, गत तीन वर्षों की गिरदावरी भूमि का नक्शा, सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं के ना–बकाया प्रमाण–पत्र, प्रार्थी के दो फोटो (सरपंच द्वारा प्रमाणित) आदि।

सम्पर्क सूत्र :– समीपस्थ केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से।

### 5. ब्याज अनुदान योजना :–

योजना का संक्षिप्त परिचय :– वर्ष 2016–17 में 1.50 लाख रूपये तक के वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों का समय अथवा

समय से पूर्व चुकारा करने वाले कृषक से ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा एवं केवल मूल ऋण राशि ही वसूल की जाएगी अर्थात् अच्छे कृषक को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाएगा।

योजना प्रारम्भ :– एक अप्रेल, 2016

लाभान्वित वर्ग :– समय पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा करने वाले कृषक।

पात्रता :– राज्य में निवास करने वाले वे कृषक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 में रबी व वर्ष 2016–17 में खरीफ व रबी में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से 1.50 लाख रूपये तक का फसली ऋण प्राप्त किया है, द्वारा ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा करने पर योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु पात्र।

देय सुविधाऐं :–समय पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा करने वाले कृषक सदस्यों से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा अर्थात् ऐसे किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज की राशि का लाभ होगा।

आवेदन कहाँ किया जाए :–पात्र ऋणी कृषकों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नही है। पैक्स/बैंक शाखा में कृषक द्वारा अपनी देय ऋण राशि समय या समय से पूर्व जमा करवाए जाने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि की रियायत तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :–पात्र ऋणी कृषक सदस्यों को अलग से आवेदन पत्र या अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी हैं।

सम्पर्क सूत्र :–सम्बन्धित वित्तीय संस्था का मुख्य कार्यकारी/शाखा प्रबन्धक/पैक्स/लैम्पस व्यवस्थापक।

### 6. फव्वारा सिंचाई योजना :–

योजना का संक्षिप्त परिचय :– फव्वारा संयत्र द्वारा पानी बचत करते हुए समान रूप से पूर्ण भूमि पर आवश्यकतानुसार सिंचाई की जा सकती है। इसके द्वारा फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है।

लाभान्वित वर्ग :– कृषक पात्रता :– कृषक

देय सुविधाऐं :–

- ब्याज दर पर 12.10 प्रतिशत (परिवर्तनीय)
- पुनर्भुगतान अवधि 10–15 वर्ष
- उद्यान विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध

आवेदन का तरीका :– प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेजों के क्षेत्र के प्रा. बैंक/शाखा में प्रस्तुत करना होता है एवं कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्रा. बैंक के पक्ष में बन्धक करनी होती है।

आवेदन कहाँ किया जाए :– सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :– पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज जमाबन्दी, खसरा, गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि।

सम्पर्क सूत्र :– सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक की शाखा।

### 7. व्यक्तिगत वाहन ऋण योजना :–

योजना का संक्षिप्त परिचय :– राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने कार्यक्षेत्र में अपने सदस्यों को कृषि/व्यक्तिगत उपयोग हेतु दुपहिया/चौपहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड कार, जीप आदि क्रय करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे।

लाभान्वित वर्ग :– ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्ग।

पात्रता :–

- प्रार्थी सहकारी भूमि विकास बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
- केन्द्र/राज्य सरकार/बैंक/बीमा/अर्द्ध सरकारी संगठन/सहकारी संस्थाओं में कार्यरत स्थाई/नियमित वैतनिक कर्मचारी/सार्वजनिक/प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारी।
- प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर/इंजीनियर, चार्टड अकाउण्टेंट, कम्पनी सेक्रेटरी/आर्किटेक्ट आदि।
- गत दो वर्षों से आयकर दाता व्यवसायी।
- कृषि आय के आधार पर कृषक

देय सुविधायें :– वाहन के कुल मूल्य का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। शेष राशि आवेदक को वहन करनी होगी।

आवेदन का तरीका :– कृषक को बैंक की सदस्यता लेकर निर्धारित आवेदन पत्र में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।

आवेदन कहाँ किया जाए :– सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखाऐं/सहकारी साख समितियाँ।

**8. शैक्षणिक संस्थान हेतु ऋण योजना :–**

योजना का संक्षिप्त परिचय :– प्राथमिक बैंकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्थान जैसे–मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान आदि के लिए इस योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक ऐसी परियोजना को ही ऋण हेतु स्वीकार करेगा जिसकी कुल लागत 50 लाख रूपए से अधिक नहीं होगी।

लाभान्वित वर्ग :– कृषक

पात्रता :– शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या विकास हेतु प्राथमिक बैंक के कार्य क्षेत्र में ऋण ऐसे व्यक्ति, पंजीकृत समिति या ट्रस्ट को दिये जा सकेंगे जो प्रस्तावित शिक्षण संस्थान के संचालन में सक्षम हो।

आवेदन का तरीका :– कृषक को बैंक की सदस्यता लेकर निर्धारित आवेदन पत्र में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।

आवेदन कहाँ किया जाए :– सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखाऐं।

आवेदन के साथ औपचारिकताऐं :–

- प्रत्याभूति स्वरूप प्रस्तुत भूमि/भवन आदि के मूल पत्रादि।
- कृषि भूमि की अन्तिम जमाबन्दी।
- परियोजना रिपोर्ट दो प्रतियों में एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज।

सम्पर्क सूत्र :– संबंधित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखाऐं।

**9. कृषि यंत्रीकरण योजना :–**

योजना का संक्षिप्त परिचय :– कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कृषकों को कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृषि यंत्रों एवं थ्रेशर आदि के लिय ऋण उपलब्ध करवाना।

लाभान्वित वर्ग :– कृषक वर्ग

पात्रता :– कृषक के स्वामित्व में कम से कम 6 एकड़ बारहमासी सिंचित कृषि भूमि या इसके अनुपात में अन्य प्रकार की समकक्ष कृषि योग्य भूमि हो।

देय सुविधाऐं :– ऋणी द्वारा बन्धक हेतु प्रस्तुत कृषि भूमि के मूल्यांकन का 75 प्रतिशत कृषक की ऋण क्षमता होगी।

आवेदन का तरीका :– कृषक को बैंक की सदस्यता लेकर निर्धारित आवेदन पत्र में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।

आवेदन का तरीका :– कृषक को बैंक की सदस्यता लेकर निर्धारित आवेदन पत्र में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।

आवेदन कहाँ किया जाए :– समीपस्थ प्राथमिक भूमि विकास बैंक व उनकी शाखा।

ऋण वितरण :– ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों हेतु स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा सीधा ऋणी को किया जायेगा। कृषक स्वयं अपनी पसंद का ट्रैक्टर बाजार में मोल–भाव कर क्रय कर सकेगा। इससे कृषक बाजार से अधिक से अधिक नकद छूट प्रदान करने वाले डीलर/फर्म से ट्रैक्टर क्रय कर सकेगे।

सम्पर्क सूत्र :– समीपस्थ प्राथमिक भूमि विकास बैंक व उनकी शाखा तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ।

**निष्कर्ष :–** उपरोक्त योजनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कृषि वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकार किसान कल्याण योजना, सोलर फोटोवाल्टिक सिस्टम योजना, फव्वारा सिंचाई योजना, डेयरी उद्यमिता आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किये जा रहे कृषि वित्त से न केवल कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है अपितु कृषकों का भी चहुँमुखी विकास हो रहा है। इन सहकारी समितियों ने कृषि के साथ–साथ कृषकों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी शैक्षणिक संस्थान हेतु ऋण योजना, ब्याज अनुदान योजना, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, व्यक्तिगत वाहन ऋण योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना आदि के माध्यम से कृषक शिक्षा व विकास के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों के विकास के साथ–साथ सहकारिता के क्षेत्र का भी विकास और विस्तार हो रहा है।

***शोध छात्रा**

**आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**

****व्याख्याता**

**आर.एल.सहरिया, राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर**

**स्त्रोत –**

1. सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा जारी विभिन्न प्रचार पुस्तिका ।
2. सहकारिताविभाग राजस्थान द्वारा सहकारी योजनाओं के परिचय हेतु जारी की गई विवरणिका के पृष्ठ संख्या 1,3,4,5,6,7,8,9,10 ।
3. केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन।